न्यायालय–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
(समक्ष : पी.एस.कैमेथिया)

आप0 पुनरीक्षण क्रमांकः–01 / 18
संस्थित दिनांकः–22.12.2017
फा.नं.–सी.आर.आर. / 33 / 2018
सी.एन.आर.–एम.पी.39050000542018
केस.नं.–सी.आर.आर. / 01 / 2018

1. सिदूदलाल पिता प्रभुलाल मीना, निवासी– ग्राम लखनवास तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ (म.प्र.) – पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

विरूद्ध

1 मांगीलाल पिता धनजीराम लोदा,

.2 गणपत पिता मांगीलाल लोदा, दोनों निवासी– ग्राम गंगाहोनी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ (म.प्र.) – प्रतिप्रार्थीगण / अनावेदकगण

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक द्वारा श्री सचिन श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिप्रार्थी / अनावेदक क. 1 मांगीलाल स्वयं उपस्थित।

प्रतिप्रार्थी / अनावेदक क. 2 गणपत अर्निवाहित।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी ब्यावरा के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 184 / 17 (filing Date- 10-04-2017) सिद्दूलाल पिता मांगीलाल आदि (अंतर्गत धारा 145, 146 द.प्र.स.) में घोषित् आदेश दिनांक 25.09.2017 से उद्भूत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।

–:: आदेश ::–

(आज दिनांक–18 जुलाई 2019 को घोषित)

01. यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका अनुविभागीय दण्डाधिकारी, ब्यावरा जिला राजगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 145 द.प्र.स. दिनांक 10.04.2017 स्वीकार तो किया गया, किंतु

अनोवदकगण के द्वारा किया गया अवैध निर्माण हटाये जाने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया।

आदेश के आगे के चरणों में पुनरीक्षणकर्ता को आवेदक और प्रतिपुनरीक्षणकर्ता को अनावेदक के नाम से संबोधित किया जावेगा।

02. विचारण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता का मामला संक्षेप में यह रहा है कि पुनरीक्षणकर्ता के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं. 727/3 रकबा 0.051 हे. भू–राजस्व पैसे स्थित ग्राम गंगाहोनी प.ह.नं.–74 तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ म.प्र. में रिकार्ड में आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य में दर्ज है, और अनावेदकगण आपस में पिता–पुत्र है। उक्त सर्वे नं. 727/3 रकबा 0.251 हे. पर आवेदक का मकान भी बना हुआ है, खसरा में मकान भी दर्ज है और अनावेदकगण जबरन दादागिरी से बलात् आवेदक का मकान तोड़कर जबरन मकान बनाकर आवेदक उक्त भूमि पर आने जाने का रास्ता बंद करने को आमदा है, और आवेदक द्वारा उसकी भूमि पर जबरन मकान बनाने से मना करने पर अनावेदकगण लड़ाई झगड़ा कर मरने मारने को आमादा है। आवेदक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्यावरा के समक्ष अनावेदकगण द्वारा जबरन मकान बनाने संबंधी आवेदन दिनांक 07.04.2017 को दिया था तथा पुलिस थाना मलावर में रिपोर्ट की थी। अनावेदकगण द्वारा जबरन मौके पर मकान बनाने की धौंस दी जा रही है, जिससे मौके पर तनाव पैदा हो रहा है। अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार कर अनावेदकगण को तलब किया जाकर उन्हें पाबंद किया जावे कि वे आवेदक की भूमि सर्वे क्र. 727/3 पर जबरन मकान निर्माण कर आवेदक का रास्ता अवरूद्ध न करे और उनसे बंधपत्र लिये जाने का निवेदन किया है।

03. विचारण न्यायालय के समक्ष पार्टी क्र. 2 अनावेदकगण के एकपक्षीय होने के कारण आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 145 द.प्र.स. के उत्तर का अभाव रहा है।

04. विवादित आलोच्य आदेशानुसार विचारणीय न्यायालय द्वारा

अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 145 द.प्र.स. स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता को आदेशित किया गया कि वह आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्र. 727/3 रकबा 0.051 हेक्टेयर में स्थित आवेदक के कच्चे मकान के सामने स्थित शासकीय गोया कि भूमि सर्वे नं. 720 पर अनावेदक द्वारा मकान का निर्माण किये जाने से विवाद हो रहा है, और पटवारी प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक द्वारा शासकीय गोया की भूमि पर निर्माण किया जा रहा है, जो अवैध होकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः आवेदक बिना सक्षम अनुज्ञप्ति के शासकीय भूमि गोया में निर्माण नहीं करे।

05. उक्त आदेश से परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षण इन आधारों पर की है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के स्वत्व स्वामित्व की भूमि सर्वे क्र. 727/3 स्थित ग्राम गांगाहोनी प्रमाणित होना स्पष्ट था और उसी के सामने शासकीय भूमि पर आम रास्ते पर अनावेदकगण प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण किये जाने से रोके जाने का आदेश पारित किया है, किंतु अवैध निर्माण रोके जाने बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया और अवैध निर्माण तोड़े जाने बाबत् कोई आदेश पारित न कर विचारण न्यायालय ने गंभीर भूल की है और उक्त आदेश अपास्त किया जाकर प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

06. प्रत्यर्थी क्र. 1 इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उसने कोई अधिवक्ता नियुक्त न करना व्यक्त कर यह कहा है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा उसे अनावश्यक परेशान किया जा रहा है और उसके द्वारा जो निर्माण कार्य किया था, वह आवेदक/पुनरीक्ष 02.04.2019णकर्ता द्वारा तोड़–फोड़ कर बलपूर्वक हटा दिया गया है।

07. पुनरीक्षण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता

है किः–

क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अशुद्ध, अवैध, अथवा औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?

{निष्कर्ष सकारण}

08. पुनरीक्षणकर्ता ने अपने आवेदन के समर्थन में विचारण न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

09. पुनरीक्षण के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह कहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.09.2017 को निरस्त कर प्रत्यर्थीगण द्वारा आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के मकान के सामने स्थित शासकीय रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटवाया जावे, जबकि प्रत्यर्थी क्र. 1 मांगीलाल जो न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हुआ, उसने अधिवक्ता नियुक्त न कर यह बताया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उसे अनावश्यक परेशान किया जा रहा है और जो निर्माण कार्य किया था, वह पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बलपूर्वक हटा दिया गया है।

10. विचारण न्यायालय द्वारा जो आलोच्य आदेश दिनांक 25.09.2017 से यह तो प्रकट होता है कि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के आधिपत्य की भूमि सर्वे क्र. 727/3 रकबा 0.051 हेक्टेयर के कुछ भाग पर आवेदक का मकान बना हुआ है और आवेदक की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 145 द.प्र.स. के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण संस्थित कर अनावेदक एवं प्रत्यर्थीगण को सूचना पत्र जारी किया गया, तथा पटवारी से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिये गये, तत्पश्चात् अनावेदक/प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने और हल्का पटवारी के द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन किया कि मौके पर आवेदक के नाम से सर्वे क्र. 727/3 रकबा 0.051 हेक्टेयर पर कच्चा मकान है, उसे क्रय करने के पश्चात् विक्रेता

गणपत पिता मांगीलाल को रहने हेतु पूर्वी भाग में कमरा, आंगन दे रखा है, पंचों द्वारा यह बताया गया कि उक्त मकान आवेदक को विक्रय करने के बाद अनावेदक मांगीलाल का प्रधानमंत्री आवास में नाम आने पर सर्वे क्र. 727/3 के आगे सर्वे नं. 720 जो कि शासकीय गोया नाम से है, अनावेदक द्वारा सर्वे क्र. 727/3 के उत्तर मे 14 गुणित 20 का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी आपत्ति आवेदक सिद्दूलाल ने लगायी है।

11. अर्थात् पटवारी प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक को शासकीय गोया सर्वे क्र. 720 में 14 गुणित 20 का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने पर उसमें अनावेदकगण द्वारा निर्माण कार्य किया जाना दर्शित है। आलोच्य आदेश में भी उक्त प्रतिवेदन को आधार बनाकर अनावेदक को बिना सक्षम प्राधिकारी के निर्माण कार्य न किये जाने के संबंध में आदेशित किया गया है। किंतु यहां उल्लेखनीय है कि आलोच्य आदेश में यह कहीं से भी स्पष्ट नहीं है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्र. 727/3 रकबा 0.051 हेक्टेयर पर अवैध निर्माण किया गया है, बल्कि आलोच्य आदेश अनुसार अनावेदक द्वारा शासकीय गोया की भूमि सर्वे क्र. 720 पर अवैध निर्माण किया जाना उल्लेखित किया गया है और आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता का भी विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का कोई मामला नहीं था, कि अनावेदक द्वारा उसके आधिपत्य की भूमि सर्वे क्र. 727/3 रकबा 0.051 हेक्टेयर अथवा शासकीय गोया कि भूमि सर्वे क्र. 720 पर किये गये अवैध निर्माण को हटाया जावे।

12. इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा जहां आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 145 द.प्र.स. स्वीकार किया है, और उसके पक्ष में अनावेदक/प्रतिपरीक्षणकर्ता के विरूद्ध यह आदेश पारित किया है कि वह बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के शासकीय गोया की भूमि सर्वे क्र. 720 पर अवैध निर्माण न करे, तब विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश वैधता, शुद्धता, और औचित्य की दृष्टि से त्रृटिपूर्ण होना

प्रकट नहीं होता है, क्योंकि यदि अनावेदक द्वारा शासकीय गोया की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के लिये स्वयं स्वतंत्र और सक्षम है, व पुनरीक्षणकर्ता भी अनावेदक/प्रत्यर्थी द्वारा किये जा रहे, अथवा किये गये शासकीय गोया कि भूमि सर्वे क्रमांक 720 में किये जा रहे अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विधि द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

13. तद्नुसार यह पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

14. उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

15. विचारण न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ तत्काल लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांकः–**18.07.2019** को मेरे उद्बोधन पर टंकित किया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(पी.एस.कैमेथिया)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म0प्र0)

(पी.एस.कैमेथिया)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म0प्र0)